(54)

न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यकलांगजन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
25 डी, माता सुंदरी मार्ग, नियर गुरु नानक आई सैंटर नई दिल्ली–02
दूरभाष सं0 23216001, टैलीफैक्स–23216005
ईमेल सीओएमडिआईस.दिल्ली एनआईसी.इन

केस सं0 4 600/2014–वैल/सीडी/1497-98 दिनांक – 14/08/2017

के संदर्भ में

श्री अंशुल त्यागी
खसरा नं0 695
कंडक्टर कालानी
बुराडी, दिल्ली–110089 .....शिकायतकर्ता

बनाम

एस डी एम सिविल लाइन
कमरा नं0 27, 28
ओल्ड सिविल सप्लाई बिल्डिंग द्वि0 तल
तीस हजारी कोर्ट कम्पलैक्स
दिल्ली –110054. .....प्रतिवादी

आदेश

उपरोक्त शिकायत कर्ता जो कि 75 % अस्थि विकलांग है, ने अपनी शिकायत दिनांक 13. 02. 2014 के माध्यम से बताया कि वह खसरा नं0 643 बुराडी में एक दुकान चला रहा था और अपने परिवार का गुजारा करता था । शिकायत कर्ता के माता–पिता श्रीमति सरोज त्यागी एवं श्री के. के. त्यागी भी विकलांग हैं । भू–माफिया एवं सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण उसकी दुकान की निशानदेही सडक में करा दी और उसकी दुकान तुडवा दी । शिकायत कर्ता को पुनर्वास के लिये भी जगह नहीं दी और भिन्न–भिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

2. मामले को प्रतिवादी के साथ दिनांक 25. 02. 2014 के माध्यम से उठाया गया । प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 24. 03. 2014 के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार माननीय हाई कोर्ट के (आदेश) सी डबल्यू पी 7829/2002 में दिनांक 25. 02. 2003 और सी डबल्यू पी 852/2003 एवं सी एम सं0 1307/2003 में आदेश दिनांक 24. 03. 2003 के अनुसार श्री अंशुल त्यागी के पिता श्री के0 के0 त्यागी की उपस्थिति में डिमारकेशन किया गया एवं निर्माण को गिराया गया ।

3. डिमारकेशन राजस्व विभाग द्वारा किया गया था । अंशुल त्यागी ने बिना रजिस्टर किया हुआ जनरल पावर आफ अटोरनी और डीड आफ एग्रीमैंट, जिसके अनुसार उसकी माता जी श्री मति सरोज त्यागी ने श्रीमति संतोष कुमारी से खरीदी हुई जमीन के लिये प्रस्तुत किया । राजस्व

Scanned by CamScanner

विभाग के रिकार्ड के अनुसार न तो श्रीमति सरोज त्यागी और न ही संतोष कुमारी विवादी जमीन के मालिक हैं ।

4. प्रतिवादी के उत्तर एवं शिकायत कर्ता के प्रत्युत्तर की जांच के पश्चात तत्कालीन आयुक्त, विकलांग ने मामले की दिनांक 22.05.2014, 04.07.2014, 04.08.2014, 11.09.2014, 18.09.2014, 20.11.2014 एवं 28.11.2014 को सुनवाई की । आयुक्त ने दिनांक 18. 09. 2014 की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में दर्ज किया कि शिकायत कर्ता के पिता श्री के0 के0 त्यागी ने बार–बार कहा कि जो भूखण्ड उन्होंने श्री मति संतोष कुमारी से खरीदा था उसको एस. डी. एम. सिविल लाईन्स में श्री प्रवीण कुमार के दबाव में आकर सड़क में बदलवा दिया । अतः उन्होंने निर्देश दिये कि मामले से सम्बन्धित तथ्य डिविजनल आयुक्त अपने स्तर पर देखे और सही तथ्य हासिल करें । तदुपरांत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सैंट्रल ने डिविजनल आयुक्त की संस्तुति के साथ 27.10.2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत की । उस रिपोर्ट के अनुसार चूंकि डिमारकेशन संबधित व्यक्तियों की उपस्थिति में की गई थी और यदि उन्हें उस डिमारकेशन रिपोर्ट दिनांक 25.02.2003 से कोई आपत्ति थी तो उन्होंने न्यायिक कार्यवाही करनी चाहिये थी । डिमारकेशन के खिलाफ श्री प्रवीण कुमार ने खसरा सं0 315 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पटिशन दायर की थी और हाई कोर्ट में अपने आदेश दिनांक 28. 05. 2014 के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि मामले को उपायुक्त तय करेंगे । तदानुसार मामला उपायुक्त सैंट्रल के न्यायालय में लम्बित है ।

4. मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिये तत्कालीन आयुक्त ने शिकायत कर्ता से कुछ अतिरिक्ति सूचना भी मांगी । शिकायत कर्ता के पिता श्री के0 के0 त्यागी से स्वयं मैंने दिनांक 14. 07. 2017 को मामले की मौजूदा स्थिति जानने के लिये सम्पर्क किया । उन्होंने बताया कि शिकायत कर्ता आयुक्त दिव्यांग जन के कार्यालय से मार्गदर्शन चाहते थे कि मामले में उन्हें क्या करना चाहिए ।

5. उन्हें बताया गया कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर तत्कालीन आयुक्त, दिव्यांगजन के आदेशानुसार संभाग आयुक्त द्वारा की गई जांच एवं दस्तावेज़ों के मध्य नजर यदि शिकायत कर्ता विभागीय अधिकारियों के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो मामले को उचित मंच जैसे सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । तदनुसार मामले को बंद किया जाता है ।

Court of Commissioner (Disabilities) * National Capital Territory of Delhi *

टी. डी. धारियाल
राज्य आयुक्त दिव्यांगजन
Court of Commissioner (Disabilities)
National Capital Territory of Delhi
Room No. - 1
25-D, Mata Sundari road, New Delhi-02

Scanned by CamScanner